

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
चिकित्सा शिक्षा विभाग,  
निदेशालय चन्द्र नगर, देहरादून।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 07 मई, 2019

विषय :- सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, अल्मोडा के लिये एल0ओ0पी0 हेतु एम0सी0आई0 मानकानुसार आवश्यक अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-3105/XXVIII(1)/2014-116/2013 दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या-1336/XXVIII(1)/2017-116/2013 दिनांक 19 नवम्बर, 2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, अल्मोडा हेतु एम0सी0आई0 के मानकानुसार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम0सी0आई) का Compliance निरीक्षण हेतु न्यूनतम मानकानुसार एनाटामी, फिजियोलॉजी व बायोकेमिस्ट्री विभागों 02-02 ट्यूटर्स के पदों को अस्थायी रूप से निम्न तालिका के अनुसार उनके पदनाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में भरे जाने हेतु इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि से, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2020 तक, बशर्त की यह पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, सृजित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पदनाम	शासनादेश संख्या-1336 02 नवम्बर, 2017 द्वारा पूर्व में सृजित पदों की संख्या	वेतनमान/ग्रेड पे	सृजित किये जा रहे अतिरिक्त पद	कॉलम-5 के अनुसार सृजित पदों को सम्मिलित करते हुए कुल सृजित पद
1	2		3	4	5	6
1.	एनाटामी	ट्यूटर	01	नियत वेतन- रु0 56100	02	03
2.	फिजियोलॉजी	ट्यूटर	01	नियत वेतन- रु0 56100	02	03
3.	बायोकेमिस्ट्री	ट्यूटर	01	नियत वेतन- रु0 56100	02	03
<b>Total</b>			<b>03</b>		<b>06</b>	<b>09</b>

2- मेडिकल कॉलेज हेतु अतिरिक्त रूप से ट्यूटर्स हेतु सृजित पदों पर तैनातियों वर्षवार एम0सी0आई0 के मानकानुसार एवं आवश्यकतानुसार की जायेगी। उक्त पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली एवं आरक्षण से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों के अनुसार की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति-04-मेडिकल कॉलेज-09-अल्मोडा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के संगत मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-324/XXVII(7)/2019 दिनांक-24 अप्रैल, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)  
सचिव।

संख्या- 734 /XXVIII(1)/2019-116/2013 TC तददिनांकित।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी, अल्मोडा।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, अल्मोडा।
6. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, अल्मोडा।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोडा।
9. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(शिव शंकर मिश्रा)  
अनुसचिव